ालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न.77 / 2019 दिनांक–19.12.19

सरकार बनाम दैवेन्द्र वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का शुक्लाबास ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम शुक्लाबास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 94 /4.38 है0 किस्म चारागाह भूमि मेंसे 0.10है0 पर दैवेन्द्र सिह रोठोड पुत्र हनुमान सिंह राठोड निवासी अम्बाबाडी जयपुर व जसवंत सिह पुत्र उमराव सिंह निवासी रावला मौहल्ला जयपुर ने मलबा डाल कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान की तरफ से जबाब पेश हुआ जो संलग्न पत्रावली किया गया । गैर सायलान ने अपने जबाब में कथन किया है कि उक्त खसरा नंबर के पास गैर सायलान की खनन लीज है जो गहराई तक खुदी हुई है अतः उक्त खनन लीज में आवारा पशु/ जानवर गिरने के भय के कारण भूमि पर तारबन्दी , फैसिंग कर तथा मलबा डालकर अवरोध उत्पन्न किया है जिससे कोई जनहानी,दुर्घटना कारित ना हो । गैर सायलान की कब्जे संबन्धी कोई मंशा नही है श्रीमान न्यायालय जो भी आदेश पारित करेगा अक्षरशः पालना की जावेगी। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाब से गैरसायल द्वारा अतिक्रमण किया जानी की स्वयं ही स्वीकारोक्ती की गइ है। तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसालान दैवेन्द्र सिह रोठोड पुत्र हनुमान सिंह राठोड निवासी अम्बाबाडी जयपुर व जसवंत सिह पुत्र उमराव सिंह निवासी रावला मौहल्ला जयपुर द्वारा वाके ग्राम शुक्लाबास के खसरा नंबर 94 / 4.38है0 चारागाह भूमि मेंसे 0.10है0 भूमि पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर

तहसीलदार
कोटपूतली (जय

अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः दैवेन्द्र सिह रोठोड पुत्र हनुमान सिंह राठोड निवासी अम्बाबाडी जयपुर व जसवंत सिह पुत्र उमराव सिंह निवासी रावला मौहल्ला जयपुर को वाके ग्राम शुक्लाबास तहसील कोटपूतली के ख0 न094 / 4.38है0,किस्म चारागाह मे से 0.10है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल को उक्त आराजीयात पर डाले गये मलबे को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 0.40 रू. का पचास गुणा 20 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 19.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली

5 पृष्ठ संख्या ... पर ...
राजस्व लेखाकार
कोटपूतली